जिला जनसम्पर्क कार्यालय, खूँटी

दिनांक 13.03.2018

प्रेस विज्ञप्ति

आज परिसदन खूंटी के सभाकक्ष में झारखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष, आरती कुजूर की अध्यक्षता में बाल संरक्षण की समीक्षा बैठक हुई। अध्यक्ष महोदया द्वारा खूंटी जिला में बाल कल्याण समिति, किशोर न्यास बोर्ड, जिला बाल संरक्षण ईकाई, सिनी संस्था, सहयोग विलेज, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन खूंटी, चाइल्ड लाईन खूंटी की बाल अधिकार एवं संरक्षण पर किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली तथा कहा कि बच्चों खूंटी जिला में बच्चों की पोषण, पेयजल, आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन, शिक्षा, बाल श्रमिकों, ट्रेफिकिंग से छुड़ाए गए बच्चों, बाल अपराध, पीड़ित क्षतिपूर्ति पर कार्य किये जा रहे हैं। इसके लिए और बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने सभी एन.जी.ओ. के प्रतिनिधियों से कहा कि गांवों में जाकर बच्चों के जरिए आप बच्चों को पुनर्वास एवं आजीविका से संबंधित सभी पहलुओं पर कार्य करें। साथ ही उनके अभिभावकों को जागरूक करने के साथ समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया बनी रहे ताकि भविष्य में बच्चों को समस्याओं से ना गुजरना पड़े। उन्होंन स्थानीय भाषा के जानकार को वर्कर के रूप रखने पर बल दिया जिससे स्थानीय लोगों को आसानी से समझाया जा सके। अध्यक्ष महोदया ने ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति को और मजबूत एवं क्रियाशील करने पर बल दिया। उन्होंने बच्चों को बाल अधिनियमों के संबंध में उन्मुखीकरण कार्यक्रम करने को कहा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् बच्चों की शिक्षा पर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में आप सभी को और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। अगली बैठक में पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि बच्चों का पुनर्वास सी.एन.सी.पी. के तहत् किया जा रहा है। ट्रेफिकिंग या पलायन में अधिकांश मामला में रोजगार को लेकर इस प्रकार की समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जे.एस.एल.पी.एस. के माध्यम से प्रत्येक महिला समूह को कौशल विकास से जोड़कर रोजगार देने की दिशा में पहल की जा रही है। युवकों को कौशल विकास के तहत् जोड़कर प्रशिक्षण एवं रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला से बहुत से युवकों को रोजगार का लाभ मिला है एवं आगे भी रोजगार मेला आयोजन की योजना है। मनरेगा की योजनाओं से लोगों को लगातार कार्य मिले इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष से प्रत्येक प्रखण्डों में दसवीं और बारहवीं के बच्चों के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालयों में विशेष रूप से कैरियर काउंसेलिग का कार्य किया जा रहा है ताकि बच्चे अपना भविष्य बना सकें। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि गांवों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु ग्राम सभा को उनके जिम्मेदारी के लिए सशक्त किया जाना है। साथ ही शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार से भी अनुरोध किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि पर बाल संरक्षण से संबंधित टॉल फ्री नंबर अंकित किया जाएगा जिसमें बाल समस्याओं का निराकरण हेतु जनता सम्पर्क कर सकें। इस अवसर पर एन.जी.ओ. के सभी प्रतिनिधियों ने बाल संरक्षण के बारे में जानकारी दी। बैठक में उप विकास

आयुक्त, सिविल सर्जन, खूंटी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधि अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि, सहयोग विलेज के प्रतिनिधि, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी, आशाकिरण शेल्टर होम की प्रतिनिधि, समन्वयक, चाइल्ड लाईन खूंटी, सिनी संस्था के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।